राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 190/2018

1. जीताराम पुत्र खेताराम उम्र 80 वर्ष निवासी झाड़ोला तन् सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

1/1 हरिराम उम्र 58 वर्ष } पुत्रान जीताराम
1/2 गोकल उम्र 55 वर्ष }
1/3 महेन्द्र उम्र 52 वर्ष }
1/4 सन्तो उम्र 42 वर्ष } पुत्रिया जीताराम
1/5 कमला उम्र 40 वर्ष }
1/6 प्रेम उम्र 37 वष्र }
1/7 धर्मा उम्र 35 वर्ष }
1/8 ममता उम्र 30 वर्ष }

समस्त जाति अहीरान निवासीगण झाड़ोला तन् सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

<u>ब–ना–म</u>

1. धन्सीराम } पुत्रान ओंकार
2. लीलाराम }
3. श्रीमती केशरी देवी पत्नी स्व. सुवा
4. लालचन्द पुत्र स्व. सुवा
5. कृष्णा } पुत्रियां स्व. सुवा
6. दिनेश }
7. मुनेश }
8. मोहरा पत्नी स्व. गोमा
9. धर्मपाल } पुत्रान स्व. गोमा
10. सुभाष }
11. भगोती } पुत्रिया स्व. गोमा
12. रामकला }
13. मुनेश }
14. भादर पुत्र मेदा
15. पतासी पत्नी स्व. चन्द्रा
16. राजपाल } पुत्रान स्व. चन्द्रा
17. रामनिवास }

समस्त जाति अहीर निवासीगण झाड़ोला तन् सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.......अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:28:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

निर्णय **दिनांक 23–03–2021**

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 1 लगायत 17 ग्राम झाड़ोला तन् सिहोड़ के मूल निवासी है जहां उनकी कृषि भूमि है एवं पुख्ता मकान बने हुए हैं। आवेदकगण की ग्राम सिहोड़ स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 80 खसरा नंबर 411 रकबा 0.16 है., ख.नं. 461 रकबा 0.54 है., ख.नं. 462 रकबा 0.67 है., ख.नं. 464 रकबा 0.08 है., खनं. 465 रकबा 0.30 है., ख.नं. 566/459 रकबा 0.32 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.07 है. जिस पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के ख.नं. 464 रकबा 0.08 है. के कुछ भाग में अपने रिहायशी मकान बनाकर मय परिवार के आबाद चले आ रहे हैं। आवेदक अपने रिहायशी मकानों एवं अपने खेतों में आवागमन अनावेदक सं. 1 लगायत 17 के सामलाती भूमि के ख.नं. 468/1 रकबा 0.05 है. से करता आ रहा है। उक्त रास्ते से ही अपने कृषि उत्पादन की जिन्स एवं खाद आदि ट्रेक्टरों, ट्रकों से लाता व ले जाता है। जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 95 खसरा नंबर 459 रकबा 0.61 है., ख.नं. 466 रकबा 0.08 है., ख.नं. 467 रकबा 0.86 है., ख.नं. 468 रकबा 0.11 है., ख.नं. 469 रकबा 1.20 है., ख.नं. 1405 रकबा 1.08 है., ख.नं. 1406 रकबा 0.45 है. कुल किता 7 कुल रकबा 4.39 है. की खातेदारी अनावेदक सं. 1 लगायत 17 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णित रास्ता की भूमि ख.नं. 468/1 रकबा 0.05 है. को गै.मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे जिससे आवेदक अपने खेतों व अपने रिहायश में शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के आवागमन कर सके।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदकगण सं. 1, 3, 4, 8 से 10 व 14 की ओर से जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि आवेदक जिस खसरा नंबर 468 से रास्ता चाहता है वहां से रास्ता देने पर अनावेदकगण के ख.नं. 466 के भी बीचों–बीच रास्ता देना होगा उसकी लम्बाई भी 160 मीटर पड़ती है। आवेदक की भूमि ख.नं. 462, 465, 464, 1566/459 सभी जुड़े हुये है एवं पुख्ता रास्ता आम (सड़क) से भूमि ख.नं. 1566/459 महज 60 मीटर दूर पड़ती है यह दूरी किसी भी खेत से बीचों–बीच न होकर भूमि ख.नं. 459 की पूर्वी मेड़ पर से पड़ती है जो निकटतम रास्ता है ऐसी स्थिति में ख.नं. 468, 466 में से रास्ता दिया जाना नियम एवं कानून के खिलाफ है। आवेदक व उसके पिता ने पहले भी दिनांक 28.06.1990 को गांव के 20–25 व्यक्तियों की उपस्थिति में समझौता कर ख.नं. 468 की मेड़ से 8 फुट चौड़ा रास्ता कायम करवाया था व बदले में अनावेदकगण को अपनी खातेदारी भूमि रकबा डेढ़ बीघा खाम अर्थात् 1800 वर्गमीटर भूमि देनी तय की थी मौके पर आवेदक ने अपनी भूमि ख.नं. 465 की डेढ़ बीघा खाम जम[illegible] परन्तु बाद में आवेदक ने समझौता को भंग कर दिया व डेढ़ बीघा खा[illegible]मी[illegible]की रजिस्ट्री अनावेदकगण के नाम नहीं करवाई। अनावेदकगण सं[illegible]के पास काश्त के लिए छोटे–छोटे खेत हैं जबकि आवे[illegible] काफी जमीन है इसलिए न्यायहित में रास्ते के बदले आवेदक से अनावेदकगण को [illegible] दिलाई जावे अन्यथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जावे। अनावेदकगण संख्या 2, 5 से 7, 11 से 13, 15 व 18

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:28:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2020/182 दिनांक 19.02.2020 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि :–

1. प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है और यह केवल जोत की सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मसले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्ताविक रास्ते की सीमाओं को नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित कर दिया गया है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर है, उक्त भूमि की कीमत डी.एल.सी. दर अनुसार 77360/–रू. बनती है।

आवेदक की ओर से भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2020 पर आपत्ति प्रस्तुत की है कि आवेदकगण की भूमि ख.नं. 648 रकबा 0.05 है. जो गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज है, से आवेदकगण व अन्य ग्रामवासी अपने रिहायशी मकानों एवं खेतों में आवागमन करते हैं। ख.नं. 468/1 रकबा 0.05 है. के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2020 पर आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रिपोर्ट निरस्त फरमाते हुए प्रचलित रास्ते के रूप में चालू रास्ता ख.नं. 468 रकबा 0.05 है. को रास्ते के रूप में कायम किये जाने की कृपा करें।

आवेदकगण की उक्त आपत्ति पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 459 से प्रस्तावित रास्ता लघुतम दूरी का है तथा आवेदकगण की भूमि से लगता हुआ है एवं खसरा नंबर 459 भी अनावेदकगण की खातेदारी भूमि है। अतः आवेदकगण की आपत्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज की गई।

अंतिम बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता आवेदक का तर्क है कि हमें रास्ता दिया जावे, हमारे पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, लघुत्तम रास्ता दे दिया जावे। दौराने बहस अधिवक्ता अनावेदक ने कथन किया कि रास्ते के बदले में जमीन दिलाई जावे, इस बात पर हम सहमत हैं। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत त्यौंदा का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। आवेदक के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1566/459 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। खसरा नंबर 1566/459 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 459 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर (60x4) बनता है। इस प्रकार आवेदक का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः आवेदक का आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:28:19 IST
Reason: SelfAttested

अनावेदकगण ने जमीन के बदले जमीन [illegible] की है लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत बनाये गये नियमों में यह प्रावधान है कि प्रतिकर के रूप में जमीन के बदले जमीन तथा वांछित मूल्य (राशि) देने का आदेश तभी दिया जा सकता है जबकि उभय पक्षकार उक्त वर्णित मांग पर सहमत हों। चूंकि उक्त

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

प्रकरण में भूमि के बदले भूमि देने के प्रस्ताव पर आवेदकगण सहमत नहीं है। इसलिए भूमि के बदले भूमि प्रतिकर में दिये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

उक्त प्रकरण में प्रतिकर राशि डी.एल.सी. के दुगुना ही दिये जाने का प्रावधान है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 1566/459 में जाने के लिए अनावेदकगण सं. 1 लगा. 17 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 459 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे 60x4 क्षेत्रफल में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 1566/459 तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 240 वर्गमीटर भूमि की कीमत 77360 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 154720/–रू. अक्षरे एक लाख चौवन हजार सात सौ बीस रूपये आवेदक तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 459 के खातेदार को प्रतिकार की रकम राशि रू. 154720/– अक्षरे एक लाख चौवन हजार सात सौ बीस रूपये अनावेदकगण को नियमानुसार अदा करें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 459 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 23–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:28:19 IST
Reason: SelfAttested